सीएमसीएलडीपी की छात्रा महेश्वरी उइके ने लगवाई अवैध वसूली पर रोक

म. प्र. शासन के अभियान के तहत वन क्षेत्र में निवासरत लोगों को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया जाना था, जिसके तहत ग्राम सोनपुरी विकासखंड बैहर जिला बालाघाट की में भी ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टों के वितरण की प्रक्रिया चल रही थी। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीणों से सरपंच एवं सचिव द्वारा पट्टे के एवज में अवैध रूप से 1050 रूपये की राशि वसूल की जा रही थी। उक्त विषय की जानकारी ग्राम में निवासरत मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की छात्रा महेश्वरी उइके को प्राप्त हुई। तब छात्रा द्वारा अपने मेंटर्स, विकासखंड एवं जिला समन्व्यक से चर्चा कर

जानकारी प्राप्त की गई कि क्या इस योजना के तहत पट्टे के एवज में ऐसी कोई राशि हितग्राहियों द्वारा जमा की जानी है। तब छात्रा को जानकारी दी गई कि ऐसी कोई राशि इस योजना में हितग्राहियों को जमा नहीं करना है। तत्पश्चात छात्रा द्वारा पटवारी, सरपंच एवं सचिव से उक्त राशि हितग्राहियों को वापस करने का आग्रह किया गया। परंतु छात्रा की बात को संबंधितों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। छात्रा ने इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी बैहर को दी। जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये तहसीलदार बैहर को ग्राम तक पहुंचकर मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये। जांच के दौरान पाया गया कि लगभग 30 हितग्राही ऐसे थे जिनसे अवैध राशि की वसूली की गई थी।

तहसीलदार द्वारा उक्त विषय का प्रकरण तैयार किया जा रहा था। परंतु हितग्राहियों द्वारा यह कहा गया कि हमें हमारे पैसे वापस करवा दिये जायें और आगे से पटवारी, सरपंच एवं सचिव द्वारा अवैध राशि की वसुली न की जाये और इन्हें इस बार दंडित न करते हुये हिदायत दे दी जाये।

इस प्रकार से छात्र महेश्वरी उइके के सफल प्रयास से ग्रामीणों को उनकी राशि वापस कर दी गई एवं पटवारी, सरपंच एवं सचिव को भविष्य ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि न करने की समझाईश दी गई। छात्रा के इस प्रयास पर प्रशासन ने पुरूस्कृत करने की बात कही।